वैकल्पिक
से उपा।

मध्य प्रदेश शासन
वन विभाग

क्रमांक/डी/3203/3827/2001/10/3 भोपाल/दिनांक 7 दिसंबर, 2001

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक (भू-सर्वे)
मध्य प्रदेश, भोपाल ।

विषय:- क्षतिपूर्ति वनीकरण के लिये स्थल विशेष प्रोजेक्ट तैयार करने हेतु दिशा निर्देश ।

सन्दर्भ:- आपकी टीप क्रमांक/120 दिनांक 9.10.2001.

-=:0:=-

उपरोक्त विषय में राज्य शासन द्वारा अनुमोदित क्षतिपूर्ति वनीकरण के लिये स्थल विशेष प्रोजेक्ट के तैयार करने हेतु दिशा निर्देश की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है । कृपया इस संबंध में संबंधित संबंधितों को भी उक्त दिशा निर्देश की प्रति भेजकर अवगत कराने का कष्ट करें ।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार ।

(रतन पुरवार)
अपर सचिव,
मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग
9/12

क्षतिपूर्ति वनीकरण के लिए स्थल विशेष प्रोजेक्ट तैयार करने हेतु दिशा निर्देश

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत स्वीकृत विभिन्न परियोजनाओं में प्रत्यावर्तित वन भूमि के बदले प्राप्तभूमि पर वैकल्पिक वृक्षारोपण किया जाता है। रोपण हेतु आवेदक संस्थान से पैसा जमा कराया जाता है। भारत सरकार ने समय समय पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में यह बात उठाई है कि विभिन्न स्वीकृत योजनाओं के विरूद्ध वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु जितना पैसा आवेदक संस्थान से लिया गया था उसका पूर्ण उपयोग वृक्षारोपण कार्य हेतु नही किया गया है। जिसके कारण वैकल्पिक वृक्षारोपण को वांछित सफलता नही मिल पा रही है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के तहत वैकल्पिक वृक्षारोपण का अनुश्रवण भारत सरकार कर रही है तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कुछ प्रकरणों में वृक्षारोपणों का जीवित प्रतिशत 75 प्रतिशत से कम होने पर भारत सरकार द्वारा संबंधित परियोजना की स्वीकृति रदद् करने की बात कही है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पौधों का जीवित प्रतिशत 75 प्रतिशत से कम होनेपर आवेदक संस्थान को भी जिम्मेदार माना है किन्तु वृक्षारोपण का कार्य वन विभाग ही कर रहा है। अतः वांछित सफलता का स्तर प्राप्त करना वन विभाग की ज़िम्मेदारी भी है। विभाग को वैकल्पिक वृक्षारोपण की कामयाबी निश्चित रूप से प्राप्त करनी होगी जिसके लिए यह आवश्यक है कि स्थल विशेष प्रोजेक्ट तैयार किये जावें और इस तरह तैयार किये गए स्थल विशेष प्रोजेक्ट में जो राशि प्रति हेक्टर परिगणित होती है वह आवेदक संस्थान से ली जावे। क्षतिपूर्ति वनीकरण किन्ही भी परिस्थितियों में वनभूमि अथवा गैर वनभूमि पर ही किया जावेगा। उक्त दोनों प्रकार की भूमियों की जैविक परिस्थितियां, भूमि का प्रकार एवं जैविक दबाव अलग अलग होगा। अतः उन दोनों स्थानों के लिए स्थल विशेष प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए मापदण्ड भी अलग अलग होंगे। वनभूमि एवं गैर वन भूमि हेतु स्थल विशेष प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए निम्नानुसार मापदण्ड निर्धारित किए जाते हैं0।

1. वनभूमि में क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु स्थल विशेष प्रोजेक्ट तैयार करने हेतु मापदण्ड

1. स्थल चयन :–

    1. स्थल चयन वन मंडलाधिकारी द्वारा किया जायेगा।
    2. प्रोजेक्ट रिपोर्ट वन मंडलाधिकारी द्वारा कार्य आयोजना के प्रावधानों के अनुरूप बनायी जायेगी। प्रोजेक्ट रिपोर्ट का प्रारूप मुख्य वन संरक्षक (भू–सर्वेक्षण) द्वारा निर्धारित किया जावेगा। यह प्रारूप संपूर्ण मध्य प्रदेश में लागू होगा एवं यदि इसमें कोई परिवर्तन किया जाना होगा तो इसकी अनुमति मुख्य वन संरक्षक0 (भू–सर्वेक्षण) से ली जावेगी।
    3. क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु चयनित क्षेत्र बिगड़े वनों के सुधार कार्य वृत्त, बिगड़े बांस वनों के सुधार कार्य वृत्त, वृक्षारोपण कार्य वृत्त मे ही होना चाहिये। जिन वन मंडलों में उक्त कार्य वृत्त नही है वे वैकल्पिक वृक्षारोपण का कार्य नही लेंगे एवं उन वन मंडलो में प्रत्यावर्तित वन भूमि के बदले में क्षतिपूर्ति वनीकरण अन्य वन मंडलों में लिया जावेगा।
    4. चयनित क्षेत्र का न्यूनतम क्षेत्रफल 20 हेक्टर व अधिकतम 50 हेक्टर होगा।

2. उपचार :–

चयनित स्थल पर उपचार वहीं किये जायें जो कार्य आयोजना में हो तथा स्थल की मांग हो। जल व मृदा संरक्षण का कार्य वही किये जायें जहां आवश्यक हो। स्थलवार प्रोजेक्ट, क्षेत्र की मांग व कार्य आयोजना के प्रावधानों के अनुसार वन मंडलाधिकारी तेयार करेंगे तथा अनुमोदन वन संरक्षक करेंगे। उपचार कार्य निमनसनुसार रहेंगे।

सी. बी. ओ. कार्य :–

1. चयनित क्षेत्र के अंतर्गत 20 से. मी. गोलाई तक की उपलब्ध संपूर्ण आड़ी टेढ़ी पौध एवं जीवित ठूठों की गणना डेव पद्यति द्वारा की जावेगी। बिगड़े बांस भिर्रो की गणना भी साथ साथ की जावेगी।
2. 20 से. मी. से कम की आड़ी टेढ़ी पौध कार्य आयोजना में दिये गये प्रावधानों के अनुरूप काटी जावें। वही पौध काटी जायें जो आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो तथा अच्छी कापिस देने वाली हों।ग्वालियर, उज्जैन, शिवपुरी वृत्त में इन प्रजातियों का क्रम करधई, साजा, धावड़ा आदि होगा। शेष वृत्तों में प्रजातियों का क्रम सागौन, साल, बीजा, हल्दू, साजा, धावड़ा लेंडिया आदि होगा। क्षेत्र विशेष की आव यकता के अनुसार प्रजातियों के क्रम को परिवर्तित करने का अधिकार सम्बंधित वन संरक्षक का होगा।
3. ठूंठ ड्रेसिंग कार्य में 120 से. मी. गोलाई तक के ठूंठों की ड्रेसिंग की जावे। ठूंठ काटने से पूर्व उसका अभिलेखन नियमानुसार किया जावे।
4. क्षेत्र में उपलब्ध बिगड़े बांस भिर्रो की सफाई एवं मिटटी चढ़ाई का कार्य किया जावेगा।
5. स्थल मानचित्र पर सी. बी. ओ. कार्य क्षेत्र को प्रचलित निर्देशानुसार अंकित किया जावेगा।

3. भू जल संरक्षण कार्य :–

1. भू जल संरक्षण का कार्य क्षेत्र विशेष की आवश्यकता के आधार पर तैयार किये गये प्रोजेक्ट रिपोर्ट अनुसार किया जावे।
2. भू जल संरक्षण का कार्य बड़े नालों में न किया जावे। छोटे नाले जो बड़े नालों में आ कर मिल रहे हैं तथा जिनमें कटाव हो रहा है, उसमें ब्रशवुड बांध बनायें जावें जिससे सम्पूर्ण जल ग्रहण क्षेत्र उपचारित हो सकें।
3. स्थल मानचित्र में भू क्षरण से प्रभावित क्षेत्र एवं जिस क्षेत्र में भू जल संरक्षण कार्य लेने हैं उस क्षेत्र को प्रचलित निर्देशानुसार अंकित किया जावेगा।

4. रोपण :–

1. रोपण कार्य करने से पूर्व अच्छी प्रकार देखा जावे कि क्या क्षेत्र रोपण योग्य है या नही। इसके लिए यह देखें कि प्रति हेक्टर सी. बी. ओ. से कितने पौधे उपलब्ध होंगे। खड़े वृक्ष प्रति हेक्टर कितने हैं ? तथा प्रति हेक्टर कितनी पौध है ? उसके आधार पर रोपित करने वाले पौधों की संख्या निकाली जाएगी। प्रति हेक्टर रोपित पौधे तथा सी. बी. ओ. से प्राप्त पौधों एवं पूर्व से खड़े वृक्षों की संख्या न्यूनतम 1600 हो।

2. प्रथम वर्ष में सुरक्षा व मृदा जल संरक्षण का कार्य लिए जावेगें। दूसरे वर्ष में यदि आवश्यक हो तो जहां साइट पोटेन्शियल है तथा पानी उपलब्ध है वहीं वृक्षारोपण करें। अन्यथा वृक्षारोपण न लें।

3. रोपण क्षेत्र को मानचित्र पर लाल रंग के कलरवाश से अंकित किया जावेगा।

5. क्रियान्वयन संस्था :–

वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना का क्रियान्वयन यथा संभव वन विभाग द्वारा ग्राम वन समिति के सहयोग से किया जायेगा। यह कार्य ऐसी समितियों से कराया जाना है जिन समितियों द्वारा पिछले तीन वर्षों से अच्छा वानिकी कार्य किया जा रहा है एवं समिति क्षतिपूर्ति वनीकरण कार्य करने हेतु सक्षम है। समिति की सक्षमता का प्रमाण पत्र वन मंडलाधिकारी जारी करेंगे।

यदि क्षेत्र में ऐसी सक्षम समितियां उपलब्ध न हों तो क्षतिपूर्ति वनीकरण का कार्य विभागीय रूप से किया जाएगा। उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए क्षतिपूर्ति वनीकरण समिति के माध्यम से किया जाए अथवा वन विभाग द्वारा किया जाए। इस संबंध में निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार क्षेत्रीय वन संरक्षक का रहेगा।

6. सुरक्षा व्यवस्थाः–

वन विभाग के तकनीकी नियंत्रण में संयुक्त वन प्रबंध हेतु बनी समिति के माध्यम से सुरक्षा व्यवस्था की जावेगी। जहां आवश्यक हो सी. पी. टी. व सी. पी. डब्लू. बनायी जावे अथवा अन्य कोई प्रयोजन जिसे वन संरक्षक क्षेत्र आवश्यकतानुसार अनुमोदित करें। सुरक्षा का उत्तरदायित्व वन कर्मचारियों का होगा।

7. उत्तरदायित्व :–

वैकल्पिक वृक्षारोपण की सुरक्षा का उत्तरदायित्व वन कर्मियों का होगा। अतः वृक्षारोपण असफल हाने पर वनकर्मी ही जवाबदार होंगे।

8. अनुश्रवण / मूल्यांकन :–

वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना का अनुश्रवण व मूल्यांकन योजना शुरू होने के वर्ष से सात वर्ष तक किया जायेगा। इसमें समस्त वृक्षारोपणों का अनुश्रवण वन संरक्षक स्तर पर वर्ष में दो बार किया जायेगा। मुख्यालय स्तर के अधिकारी द्वारा सैम्पल चैकिंग वर्ष में एक बार की जावेगी तथा बाहरी संस्था द्वारा तीन वर्ष बाद अनुश्रवण किया जायेगा।

9. वित्तीय प्रावधान :–

स्थल विशेष प्रोजेक्ट रिपोर्ट वन संरक्षक द्वारा स्वीकृत जाब दर के आधार पर वन मंडलाधिकारी तैयार करेंगे। प्रोजेक्ट की स्वीकृति वन संरक्षक द्वारा दी जायेगी। प्रोजेक्ट के आधार पर बजट आवंटन मुख्य वन संरक्षक (भू–सर्वेक्षण) द्वारा किय : जायेगा। अतिक्रमण व्यवस्थापन के बदले वैकल्पिक वृक्षारोपण में ऐसे क्षेत्रों को लिया जाय जहां पर्याप्त जड़ भंडार है।

2. गैर वनभूमि में क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु स्थल विशेष प्रोजेक्ट तैयार करने हेतु मापदण्ड

1. स्थल चयन :–

1. स्थल चयन वन मंडलाधिकारी करेंगे।
2. गैर वनभूमि वही लें जो वृक्षारोपण के लिए योग्य है। यदि भूमि वृक्षारोपण के योग्य नही है तो स्पष्ट मना कर दें।
3. प्रोजेक्ट रिपोर्ट स्थल विशेष की आवश्यकतानुसार वन मंडलाधिकारी द्वारा बनाई जावेगी। प्रोजेक्ट रिपोर्ट का प्रारूप मुख्य वन संरक्षक (भू–सर्वेक्षण) द्वारा निर्धारित किया जायेगा। यह प्रारूप संपूर्ण मध्य प्रदेश में लागू होगा एवं यदि इसमें कोई परिवर्तन किया जाना होगा तो इसकी अनुमति मुख्य वन संरक्षक (भू–सर्वेक्षण) से ली जावेगी।
4. चयनित क्षेत्र वन सीमा से लगा होने पर उसके न्यूनतम क्षेत्रफल की कोई सीमा निर्धारित नही की जाती है। परन्तु यदि वन सीमा से 5 कि.मी. की दूरी पर है तो न्यूनतम क्षेत्र 20 हेक्टर होगा एवं अधिकतम क्षेत्रफल की कोई सीमा बाध्यता नही है। यदि आवेदक संस्थान वन सीमा से 5 कि.मी. से अधिक की दूरी पर स्थित कोई गैर वन भूमि क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु उपलब्ध कराती है तो उस क्षेत्र हेतु प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने के पूर्व राज्य शासन की अनुमति ली जावे।

2. उपचार :–

यदि जड़ भंडार चयनित क्षेत्र मेंउपलब्ध है तो उपचार वन भूमि पर क्षतिपूर्ति वनीकरण की भांति किये जावेगें।

3. रोपण:–

1. स्थल विशेष प्रोजेक्ट अनुसार कराया जावे।
2. क्षेत्र को इस प्रकार उपचारित करें कि कुल पौधों की संख्या,सी. बी. ओ. से प्राप्त पौधे व रोपित पौधे, प्रति हेक्टर 1600 हो।
3. रोपण हेतु प्रजातियों का चयन स्थल विशेष आवश्यकतानुसार वन मंडलाधिकारी करेंगे।
4. जहां उच्च तकनीकी से वृक्षारोपण किया जाना है। इसके लिए सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिये तथा आवश्यक जल स्रोत बनाए जाना चाहिये।
5. रोपण क्षेत्र को वृक्षारोपण के मानचित्र पर प्रचलित निर्देशानुसार अंकित किया जावेगा।

4. भू जल संरक्षण कार्य :–

स्थल विशेष प्रोजेक्ट की आवश्यकतानुसार तैयार करें तथा भू जल संरक्षण का कार्य वन भूमि पर वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु निर्धारित मापदण्ड अनुसार कराये जाऐं।

5. बांस पौधों में मिटटी चढ़ाई का कार्य :–

आवश्यकतानुसार किया जावे।

6. क्रियान्वयन संस्था :–

गैर वनभूमि पर वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवेदक संस्थान से कहा जाए यदि आवेदक संस्थान इसके लिए तैयार न हों तभी विभाग द्वारा वृक्षारोपण किया जावे। इसके लिए वन विभाग यथासंभव संयुक्त वन प्रबंधन समिति से आवश्यक सहयोग ले।

7. सुरक्षा व्यवस्था :–

गैर वनभूमि में वृक्षारोपण की सुरक्षा की जावे। इसमें वन विभाग संयुक्त वन प्रबंधन में बनी समितियों से भी सहयोग ले। यदि वृक्षारोपण का कार्य वन विभाग द्वारा किया जा रहा है तो इसकी सुरक्षा व सफलता का उत्तरदायित्व वन विभाग के कर्मचारियों का होगा।

8. अनुश्रवण / मूल्यांकन :–

गैर वनभूमि क्षेत्र में किये गए वैकल्पिक वृक्षारोपण के कार्यो के अनुश्रवण / मूल्यांकन की वही व्यवस्था लागू होगी जो वन भूमि पर किये गये वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु लागू है।

9. वित्तीय प्रावधान :–

गैर वनभूमि पर स्थल विशेष प्रोजेक्ट रिपोर्ट विस्तृत रूप से वन मंडलाधिकारी द्वारा वन संरक्षक की स्वीकृत जाब दर के आधार पर बनायी जायेगी। प्रोजेक्ट की स्वीकृति वन संरक्षक द्वारा दी जायेगी। प्रोजेक्ट के आधार पर बजट आवंटन मुख्यालय मुख्य वन संरक्षक (भू–सर्वेक्षण) द्वारा किया जावेगा।

10. अपील :–

यदि कोई आवेदक संस्थान वन मंडलाधिकारी द्वारा तैयार की गई एवं वन संरक्षक द्वारा अनुमोदित स्थल विशेष परियोजना से सहमत न हो तो वह इस संबंध में मुख्य वन संरक्षक (भू–सर्वेक्षण) को अपील कर सकेगा।

11. नीति का पुनरीक्षण:–

यह नीति 1.11.2001 से लागू होगी। नीति के क्रियान्वयन आदि में आने वाली कठिनाइयों एवं तकनीकी बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्येक वर्ष इसका मूल्यांकन किया जावेगा एवं यदि कोई आवश्यक संशोधन किए जाने हों तो तदनुसार पुनरीक्षित नीति जारी की जावेगी अन्यथा प्रचलित नीति को ही पुनः जारी किया जावेगा।